संख्या- 6 /2026/35/003-53-2002-002-1-2024

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग -2 लखनऊ : दिनांक-17-02-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में निर्माणाधीन डेयरी परियोजना हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-427/नियो0/दुग्ध-5/अनुपूरक मांग मेरठ/2025-26, दिनांक 14 जनवरी, 2026 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत जनपद मेरठ की नवीन डेयरी परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण मद में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 1100.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नही रखा जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद /प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके अपितु आवश्कतानुसार आहरित की जायेगी।

4. ऋण के रूप में पीसीडीएफ को उपलब्ध करायी जा रही प्रश्नगत धनराशि हेतु ऋण की शर्तों का निर्धारण वित्त (आय-व्ययक) अनु0-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/ बी-4-857/ दस-2016-6-1965 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5. योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

6. स्वीकृत की जा रही ऋण की धनराशि की अदायगी पीसीडीएफ द्वारा अधिकतम 05 वर्षो के अन्दर एवं ब्याज सहित सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदान/भुगतान करने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऋण /ब्याज का समय प्रतिदान/भुगतान न होने पर अथवा कोई किश्त कालातीत होने पर ऋण की स्वीकृत आदेश में निर्धारित दर पर ब्याज देना होगा अर्थात ब्याज दर में कोई छूट नही दी जायेगी।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर जिस खाते में जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज अर्जित होता है उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

9. आंकडो की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि की उपलब्धता के संबंध में दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 सुनिश्चित हो लेगें।

11. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुंसगत शासनादेशों में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत धनराशि पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-225 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,00,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 6404001900300 जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु पी.सी.डी.एफ. को ऋण **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-1-238-X-2025-26- दिनांक: 13-2-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव,
विशेष सचिव।

संख्या- 6 /2026/35(1)/003-53-2002-002-1-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वतीय, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

9- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3,उ0प्र0शासन।

10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।

11- सम्बन्धित कोषाधिकारी।

12- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

13- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामबूझ
अनु सचिव।

http://shasanades

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।